फर्द अहकाम

सीताराम बनाम सरकार

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 15/2021 (टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17/01/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. के बिन्दुओं पर श्रवण किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र टी.आई. में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि ग्राम चन्दवाजी तह. आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 02 रकबा 0.66 हे. आ.ख.नं. 02/149 रकबा 0.16 हे. का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वर्णित भूमि का मालिक खसरा नं. 01 रकबा 06 बीघा रहा है। जिसके दौराने सेटलमेंट खसरा नं. 01 रकबा 0.76 हे. तथा खसरा नं. 02 रकबा 0.66 हे. कायम किए गए। तदोपरान्त खसरा नं. 02 में से 02 और नवीन खसरा नं. 01/176 रकबा 0.04 हे. हिस्सा 1/3, खसरा नं. 02/149 तथा 02/177 दोनों का कुल रकबा 0.06 हे. बने। इसके पश्चात प्रार्थी को सेटलमेन्ट/राजस्व रिकॉर्ड [illegible] खाता सं. 10 के रूप में खसरा [illegible] रकबा 0.66 हे. खसरा नं. 2/1[illegible] 0.10 हे. कुल [illegible] 0.76 हे. का पर्चा [illegible] जिस पर प्रार्थी [illegible] कर्मचारियों द्वारा दौरान सेटलमेंट त्रुटिपूर्ण कार्यवाही करते हुए मिलान क्षेत्रफल में खसरा नं. 02 में से 02 नवीन खसरा नं. 1/176 रकबा 0.04 हे., ख.नं. 2/177 रकबा 0.06 हे. बना दिए।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:14:30 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

सीताराम बनाम सरकार

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 15/2021 (टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17/01/25	जिसका ज्ञान प्रार्थी को नहीं था। चूंकि प्रार्थी को दौराने सेटलमेंट पर्चा लगान जारी हुआ था तथा उस समय प्रार्थी को खसरा नं. 2/149 रकबा 0.10 हे. की भूमि का पर्चा लगान जारी कर कब्जा दरस्त दे दिया गया था एवं राजस्व रिकॉर्ड में भी ख.नं. 2/149 रकबा 0.10 हे. की खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गया था। इसलिए प्रार्थी ने उक्त सेटलमेंट द्वारा तैयार किए गए मिलान क्षेत्रफल को नहीं देखा। हाल ही में ख.नं. 1/176 रकबा 0.04 हे., ख.नं. 2/177 रकबा 0.06 हे. के राजस्व रिकॉर्ड को जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम नामांतकरण खोलकर उक्त खसरा नम्बरान को "जयपुर विकास प्राधिकरण" के नाम अंकित कर दिया गया। जबकि उक्त खसरा नम्बरान का सेटलमेंट द्वारा जारी प्रार्थी के पर्चे में कहीं अंकन नहीं है। सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण व अविधिक कार्यवाही करते हुए ख.नं. 02 में से 2 नवीन खसरा नम्बर बिना किसी आधार के बना दिए जबकि खसरा नं. 02 जो कि पुराने खसरा नं. 01 में से बना हुआ है, में 0.66 हे. भूमि अंकित है जो कि पुराना खसरा नं. 01 के अनुसार लगभग 0.10 हे. भूमि कम अंकित होने से कमी पूर्ति हेतु एक नवीन खसरा नं. 2/149 बनाकर 0.10 हे. भूमि की पूर्ति कर दी गई तथा दोनों खसरा नं. 02, 02/149 नवीन नम्बर बनाकर दोनों खसरों की भूमि को इकजाई कर 0.76 हे. बनाकर रकबा पूरा कर पर्चा लगान प्रार्थी के पक्ष में जारी	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

सीताराम बनाम सरकार

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 15/2021 (टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	17/01/25	कर दिया गया था तथा उक्तानुसार ही प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में 0.76 हे० भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए। जिस पर प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त बरकरार है। इस प्रकार सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा अवैधानिक कार्यवाही के अन्तर्गत प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं. 2/149 रकबा 0.10 हे. को तोड़कर नवीन खसरा नं. 01/176 रकबा 0.04 हे., ख.नं. 02/177 रकबा 0.06 हे. बनाकर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम खातेदारी में इन्द्राज कर दिया गया। जिसका कि उन्हें कोई हक अधिकार नहीं था। इसलिए प्रार्थी को सेटलमेन्ट कर्मचारियों की उक्त अविधिक कार्यवाही को बमुकाबले प्रार्थी शून्य घोषित कराने तथा जविप्रा के नाम गलत अंकित खातेदारी को निरस्त कराने का अधिकार है एवं अप्रार्थीगण को प्रार्थी के पक्ष में विधिवत जारी पर्चा लगान अनुसार प्रार्थी को प्राप्त उक्त खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में अविधिक बेदखली हेतु निषेधित किया जाना आवश्यक हुआ [illegible] हाल में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को मौके पर आकर धमकी दी [illegible] को वादपत्र मय प्रा.पत्र [illegible] का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। जो प्रस्तुत किया जाकर मूलवाद साक्ष्य वादी, जिरह की प्रक्रिया में निहित है जिससे प्रार्थी के हितों की रक्षार्थ अप्रार्थीगण को प्रार्थी की उक्त आरोपित भूमि के संदर्भ में प्रार्थी को हैरान परेशान व	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:14:30 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

सीताराम बनाम सरकार

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 15/2021 (टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	17/01/25	बेदखल नहीं किए जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। अतः अप्रार्थीगण को तादफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे अपने नाम गलत रूप से अंकित हुई भूमि। जो कि प्रार्थी की भूमि के रकबे से अनुचित रूप से अप्रार्थीगण के नाम अंकित हो गई है, के संदर्भ में प्रार्थी को हैरान परेशान व बेदखल ना करे। प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी 2 (जेडीए) द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 01/176 रकबा 0.04 हे. ख.नं. 2/177 रकबा 0.06 हे. विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज अंकित भूमि है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों व गलत आधार पर वाद पत्र मय प्रार्थनापत्र टी.आई. के प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी जेडीए की ओर से कोई अविधिक कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। अप्रार्थी जेडीए एक सरकारी विभाग है, जो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाता है। जिससे प्रार्थी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, ना ही अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। प्रार्थी के कथन/तथ्य विस्तृत साक्ष्य के विषय है जिससे वाद का निस्तारण सम्पूर्ण साक्ष्यों के विवेचन उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

फर्द अहकाम

सीताराम **बनाम** सरकार

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 15/2024 (टी-आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17/01/25	हमने अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य साक्ष्यों के अधीन विषय है। जिसके अनुसार प्रस्तुत साक्ष्यों की गुणवत्ता के अनुसार ही वाद का निर्णय अपेक्षित है। जिसके संदर्भ में मूलवाद साक्ष्य, जिरह वादी प्रक्रिया में लम्बित है। हाल प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साबिक राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रार्थी के नाम साबिक रिकॉर्ड अनुसार कितनी व कौनसी भूमि दर्ज रिकार्ड थी। जिसके अनुसार कितनी भूमि प्रार्थी के रिकॉर्ड से विलोपित की जाकर अप्रार्थी जेडीए के नाम दर्ज अंकित की गई है तथा ऐसी स्थिति में जबकि अप्रार्थीगण पक्ष सरकारी विभाग है, अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण प्रार्थी की विस्तृत साक्ष्य अनुसार साक्ष्यों की गुणवत्ता अनुसार किया जाना है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत प्रार्थी का प्रार्थनापत्र टी.आई. पोषणीय नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र टी.आई. खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली [illegible] ल शुमार होकर [illegible] बाद तकमील दाखिल [illegible] [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:14:30 IST
Reason: SelfAttested